3

1A

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ / सहारनपुर मण्डल।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मैपल्स एकाडेमी जू०हा० स्कूल, बुढाना
जनपद, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक सह० प्रबन्ध / 1605-07 / 2009-10 दिनांक [illegible]

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 28-07-09 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646 / 15-6-917-18 एस (7) 89 / शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिबन्ध प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

<u>प्रतिबन्ध :-</u>

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजेजएक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाय।
5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क / कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

MAPLE ACADEMY
Kandhla Road
Distt. Muzaffarnagar

Scanned with CamScanner

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह ..0 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्माण करायें।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ/सहारनपुर मण्डल।

पृ०सं० ...य/ ... /2009–10 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर
5. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास क्षेत्र। मुजफ्फरनगर

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ/सहारनपुर मण्डल।

jhrka

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मैपल्स गोल्डिस एकेडमी
बुढाना

पत्रांक/शि0स0/ 6195-96 /2008-09 दिनांक : 23-10-08

विषय :- **प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

राजाज्ञा संख्या/107315-06-98-18 (एस)(7)/89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 1998 एवं सचिव उ0प्र0 बे0शि0प0, इलाहाबाद के पत्र सं0/बे0शि0प0/सा0-5/78-413/989-2000 दिनांक 16.04.99 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके आवेदन पर जिला मान्यता समिति मुजफ्फरनगर की बैठक दिनांक 21/8/08 में लिये गये निर्णयानुसार सूच्य है कि आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्राप्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

1. मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से विद्यालय में समस्त अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित रख लिये जायें और अध्यापकों को निर्धारित वेतनक्रम दिया जाये।
2. अध्यापकों को वेतन का भुगतान बैंक में खुले खाते के माध्यम से किये जायें।
3. रूपये 3000/- (तीन हजार रूपये) विद्यालय प्रबन्धक के पदनाम जमा हों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पदनाम बंधक हों।
4. समिति रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण यथासम्भव कराते रहें।
5. विद्यालय की दूसरी शाखा न खोली जायें।
6. विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम लागू रखा जाये।
7. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
8. अध्यापकों का अनुमोदन एक माह के भीतर करा लिया जाये।
9. विद्यालय भवन विद्यालय के नाम एक माह के भीतर करा लिया जाये।
10. 5 वर्ष की अवधि में स्थायी मान्यता लेना अनिवार्य होगा।

यदि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता उसी समय समाप्त कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(रविदत्त)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

पृ0सं0/शि0स0/ /2008-09 दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी .... बुढाना

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

PRINCIPAL
MAPLES ACADEMY BUDHANA
Kandhla Road
Distt. Muzaffarnagar

Scanned with CamScanner

पंजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक(सदस्य सचिव)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार– नई दिल्ली

पत्रांकः शि०स० / एन०ओ०सी० / /2009–10 दिनांक 6-4-2010

विषयः मैपल्स एकेडमी, बुढ़ाना–कॉंधला मार्ग,बुढ़ाना(मुजफ्फरनगर)को सी०बी०एस०ई०– नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मैपल्स एकेडमी, बुढ़ाना–कॉंधला मार्ग, बुढ़ाना(मुजफ्फरनगर)को सी०बी०एस०ई०, नईदिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजे जाने में तद्‌निमित गठित मण्डलीय समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

1– विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विधालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉंग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

....

PRINCIPAL
MAPLES ACADEMY
Kandhla Road BUDHANA
Distt. Muzaffarnagar

Scanned with CamScanner

8– विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9– उक्त शर्तो में मण्डलीय समिति/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथ्वा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(श्रीमती)कमला सिंह चौहान
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

पृ0सं0: शि0स0/एन0ओ0सी0/ 106-14 /2009–10 तद्दिनॉक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, 18–पार्क रोड, लखनऊ।
3– आयुक्त(अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
4– जिलाधिकारी(सदस्य, मण्डलीय समिति) मुजफफरनगर।
5– जिला विधालय निरीक्षक(सदस्य मण्डलीय समिति) मुजफफरनगर।
6– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7– प्रबन्धक, मैपल्स एकेडमी, बुढ़ाना–कॉधला मार्ग,बुढ़ाना(मुजफफरनगर)।
8– सम्बन्धित पत्रावली पर।

(श्रीमती)कमला सिंह चौहान
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

PRINCIPAL
MAPLES ACADEMY
Kandhla Road BUDHANA
Distt. Muzaffarnagar

Scanned with CamScanner